

उत्तर पश्चिम रेलवे



प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं.

58/2012

दिनांक

8/5/2012

संख्या:- 406-E/0/GIS

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

RBE No. 58/2012

विषय :- Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 - Tables of Benefits for the Savings fund for the Period from 1-1-2012 to 31-12-2012

संदर्भ :-

Railway No LNo: PL-III/2000/GIS/2

26/4/12

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि
एवं सूचनार्थे प्रेषित की जा रही है।

की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन

26/4/12

सलंगन- यथोक्त।

(आर.के.शर्मा) 2

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 7. | महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू | 15 प्रतियों। |
| 8. | महासचिव- यूपीआरएमएस | 15 प्रतियों। |
| 9. | महासचिव- एससी/एसटी एसो. | 15 प्रतियों। |
| 10. | महासचिव- ओबीसी एसो. | 05 प्रतियों। |
| 11. | महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. | 05 प्रतियों। |

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / (RAILWAY BOARD)

✓ SM
CPO
DR 40 (H/1)
os/EP

No. PC-III/2000/GIS/2

The General Managers,
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list).



RBE No. 58/2012

New Delhi, dated 26.04.2012

Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 – Tables of Benefits for the Savings Fund for the period from 1.1.2012 to 31.12.2012.

In continuation of this Ministry's letter No.PC-III/2000/GIS/2 dated 31.01.2011/01-02-2011 & 23-02-2011, a copy of O. M. No.7(1)/EV/2012 dated 24.04.2012 of the Ministry of Finance, Department of Expenditure on the above subject is forwarded herewith for information and necessary action.

DA: As above

4
26
2012

(Hari Krishan)
Director, Pay Commission-II
Railway Board

No. PC-III/2000/GIS/2

New Delhi,

dated 26.04.2012

Copy forwarded to Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

No. PC-III/2000/GIS/2

New Delhi, dated 26.04.2012

Copy to :-

- (1) FA & CAOs, All Indian Railways, CLW, DLW, DMW, ICF, RWF, Metro Rail, Kolkata, MTP(R), Delhi, Mumbai, Chennai, CORE/Allahabad, (b) FA & CAOs (Construction), N.F. Railway, Maligaon & Southern Railway, Bangalore.
- (2) The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
- (3) Executive Director (Finance), RDSO, Lucknow.
- (4) The Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
- (5) General Manager, Northeast Frontier Railway (Construction), Maligaon.
- (6) Director General, Railway Staff College, Vadodara.

(Hari Krishan)
Director Pay Commission-II
Railway Board

4
26
2012

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

रे.बो.स्था. सं. 58/2012

संख्या पी.सी.-111/2000/जी.आई.एस./2


दिनांक. 26.04.2012

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाईयाँ

विषय: केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980, दिनांक 01.01.2012
से 31.12.2012 तक की अवधि की बचत निधियों के लिये लाभों की सारणी।

इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 31.01.2011/01-02-2011 एवं 23.02.2011 के क्रम में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(1)/EV/2012 दिनांक 24.04.2012 की प्रति उपरोक्त विषय पर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्त



(हरि कृष्ण) 26/2

निदेशक, वेतन आयोग-11
रेलवे बोर्ड

संख्या पी.सी.-111/2000/जी.आई.एस./2

दिनांक. 26.04.2012

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) नई दिल्ली को प्रेषित।



कृते वित्त आयुक्त/रेल 26/2

संख्या पी.सी.-111/2000/जी.आई.एस./2

दिनांक. 26.04.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1 वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें, चिरेका, डीरेका, डी.आ.का., सडिका, रेडिका, रे.प.का., मेट्रो रेल, कोलकाता, एम टी पी (आर), दिल्ली, मुम्बई, चैन्ने, कोर/इलाहाबाद(ख) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (निर्माण), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, मालीगांव एवं दक्षिण रेलवे, बेंगलूरु।
- 2 वेतन एवं लेखाधिकारी, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)।
- 3 कार्यपालक निदेशक (वित्त), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
- 4 मुख्य आयुक्त, रेलवे संरक्षा, लखनऊ।
- 5 महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), मालीगांव।
- 6 महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।


(हरि कृष्ण) 26/2

निदेशक, वेतन आयोग-11
रेलवे बोर्ड

125

No.7(1)/EV/2012
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 24th April, 2012


OFFICE MEMORANDUM

Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980 – Tables of Benefits for the savings fund for the period from 01.01.2012 to 31.12.2012.

.....

The undersigned is directed to refer to this Ministry's O.M. No.7 (1)/EV/2010 dated 31st January, 2011 forwarding therewith Tables of Benefits under CGEGIS for the year 2011. New Tables of Benefits for the savings fund of the Scheme based on a subscription of Rs.10 per month from 1.1.1982 to 31.12.1989 and Rs.15 per month w.e.f. 1.1.1990 onwards have been prepared for the year 2012 and a copy of the table is enclosed. Another Table of Benefits for the savings fund based on a subscription of Rs.10 per month for those employees who had opted out of the revised rates of subscription w.e.f. 1.1.1990 have also been drawn up for the year 2012 and a copy of that table is also enclosed. The amounts in the Tables have been worked out on the basis of interest @ 10% per annum(compounded quarterly) for the period from 1.1.1982 to 31.12.1982, 11% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.1983 to 31.12.1986, 12% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.1987 to 31.12.2000, 11% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2001 to 31.12.2001, 9.5% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2002 to 31.12.2002, 9.0% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2003 to 31.12.2003, 8% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2004 to 30.11.2011 and 8.6% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.12.2011 onwards. The mortality rate under the Scheme has been taken as 3.75 per thousand per annum up to 31.12:1987 and 3.60 per thousand per annum thereafter in both the cases. While calculating the amount it has been assumed that the subscription has been recovered or will be recovered from the salary of the month in which a member ceases to be in service failing which it should be deducted from accumulated amounts payable.

2. In its application to the employees of Indian Audit and Accounts Department this Office Memorandum issues in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.


(SIDDHARTH SHARMA) 24/04/12
DIRECTOR

All Ministries/Departments of the Central Government as per standard list.

Copy with spare copies for information and necessary action to C&AG, UPSC, all State Governments etc. as per standard list.

NIC, D/o Expenditure for uploading the same on the website of M/o Finance.

सं.7(1)/ई-V/2012

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना - 1980, दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के लिए बचत निधि के लिए लाभों की सारणी।

मुझे इस मंत्रालय के 31 जनवरी, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं.7(1)ई-V/2010 का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसके साथ वर्ष 2011 के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत लाभों की सारणी भेजी गई थी। दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1989 तक 10/- रुपए प्रतिमाह और 01.01.1990 से 15/-रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित स्कीम की बचत निधियों के लिए वर्ष 2012 हेतु लाभों की नई सारणियां तैयार कर ली गई हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है। उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने दिनांक 01.01.1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था, 10 रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित बचत निधि के लिए लाभों की एक और सारणी वर्ष 2012 के लिए तैयार कर ली गई है और उसकी भी एक प्रति संलग्न है। सारणियों में धनराशि की गणना दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1982 तक की अवधि के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित), दिनांक 01.01.1983 से 31.12.1986 तक की अवधि के लिए 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित), दिनांक 01.01.1987 से 31.12.2000 तक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित) और 01.01.2001 से 31.12.2001 तक की अवधि के लिए 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित), दिनांक 01.01.2002 से 31.12.2002 तक की अवधि के लिए 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित), दिनांक 01.01.2003 से 31.12.2003 तक की अवधि के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित), दिनांक 01.01.2004 से 30.11.2011 तक 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित) और दिनांक 01.12.2011 से 8.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से संयोजित) की दर के आधार पर की गई है। स्कीम के तहत दोनों मामलों में मृत्यु दर 31.12.1987 तक 3.75 प्रति हजार प्रतिवर्ष तथा उसके बाद 3.60 प्रति हजार प्रतिवर्ष मानी गई है। धनराशि की गणना करते समय यह माना गया है कि अंशदान की वसूली हो चुकी है अथवा सदस्य के सेवा समाप्ति के महीने के वेतन से यह वसूल कर ली जाएगी और ऐसा न हो पाने की स्थिति में इसे देय संचित धनराशि में से काट लिया जाना चाहिए।

2. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इसके लागू होने का संबंध है, यह कार्यालय ज्ञापन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है।

सिद्धार्थ शर्मा
(सिद्धार्थ शर्मा) 24/04/12
निदेशक

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त प्रतियों के साथ (मानक सूची के अनुसार)।

एनआईसी, व्यय विभाग को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के लिए।

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME 1980

Contribution @ Rs. 10/- P.M throughout

Accumulated value of contribution from 1st January of year of Entry to the month and year of cessation

Year of cessation of membership - 2012

Month of cessation of membership

| Year of Entry | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1982 | 16337 | 16460 | 16580 | 16706 | 16833 | 16958 | 17087 | 17216 | 17345 | 17475 | 17604 | 17728 |
| 1983 | 14563 | 14674 | 14783 | 16706 | 15008 | 15123 | 15236 | 15351 | 15466 | 15584 | 15703 | 15813 |
| 1984 | 12962 | 13064 | 13161 | 16706 | 13363 | 13465 | 13568 | 13672 | 13775 | 13882 | 13985 | 14086 |
| 1985 | 11530 | 11620 | 11706 | 16706 | 11889 | 11980 | 12072 | 12165 | 12257 | 12352 | 12446 | 12536 |
| 1986 | 10242 | 10324 | 10404 | 16706 | 10564 | 10646 | 10729 | 10812 | 10896 | 10980 | 11065 | 11145 |
| 1987 | 9089 | 9160 | 9233 | 16706 | 9377 | 9452 | 9524 | 9600 | 9676 | 9750 | 9825 | 9898 |
| 1988 | 8058 | 8122 | 8186 | 16706 | 8318 | 8383 | 8451 | 8517 | 8585 | 8651 | 8720 | 8785 |
| 1989 | 7127 | 7184 | 7244 | 16706 | 7358 | 7419 | 7477 | 7538 | 7597 | 7658 | 7719 | 7779 |
| 1990 | 6299 | 6350 | 6403 | 16706 | 6507 | 6560 | 6614 | 6667 | 6723 | 6777 | 6832 | 6883 |
| 1991 | 5563 | 5608 | 5655 | 16706 | 5752 | 5798 | 5847 | 5895 | 5944 | 5993 | 6041 | 6087 |
| 1992 | 4910 | 4951 | 4993 | 16706 | 5080 | 5122 | 5165 | 5208 | 5251 | 5296 | 5338 | 5380 |
| 1993 | 4329 | 4365 | 4404 | 16706 | 4482 | 4520 | 4558 | 4597 | 4638 | 4676 | 4716 | 4755 |
| 1994 | 3812 | 3846 | 3880 | 16706 | 3950 | 3985 | 4020 | 4054 | 4091 | 4125 | 4162 | 4196 |
| 1995 | 3355 | 3384 | 3415 | 16706 | 3477 | 3510 | 3540 | 3573 | 3605 | 3638 | 3670 | 3701 |
| 1996 | 2947 | 2974 | 3004 | 16706 | 3059 | 3088 | 3117 | 3146 | 3173 | 3204 | 3232 | 3261 |
| 1997 | 2584 | 2611 | 2635 | 16706 | 2686 | 2713 | 2738 | 2766 | 2791 | 2817 | 2844 | 2871 |
| 1998 | 2265 | 2285 | 2309 | 16706 | 2356 | 2379 | 2403 | 2428 | 2451 | 2477 | 2500 | 2523 |
| 1999 | 1977 | 1999 | 2020 | 16706 | 2063 | 2083 | 2103 | 2126 | 2148 | 2170 | 2192 | 2213 |
| 2000 | 1725 | 1742 | 1763 | 16706 | 1801 | 1823 | 1842 | 1862 | 1883 | 1902 | 1923 | 1942 |
| 2001 | 1499 | 1516 | 1535 | 16706 | 1569 | 1588 | 1606 | 1625 | 1644 | 1662 | 1680 | 1700 |
| 2002 | 1297 | 1314 | 1330 | 16706 | 1363 | 1380 | 1396 | 1413 | 1430 | 1448 | 1465 | 1482 |
| 2003 | 1115 | 1130 | 1145 | 16706 | 1176 | 1191 | 1206 | 1222 | 1238 | 1254 | 1269 | 1285 |
| 2004 | 949 | 963 | 977 | 16706 | 1005 | 1019 | 1033 | 1047 | 1062 | 1076 | 1091 | 1105 |
| 2005 | 796 | 809 | 822 | 16706 | 847 | 860 | 874 | 887 | 900 | 913 | 927 | 940 |
| 2006 | 655 | 667 | 678 | 16706 | 702 | 714 | 726 | 738 | 751 | 763 | 775 | 788 |
| 2007 | 525 | 535 | 546 | 16706 | 568 | 579 | 590 | 601 | 613 | 624 | 635 | 647 |
| 2008 | 404 | 414 | 424 | 16706 | 444 | 454 | 464 | 475 | 485 | 495 | 506 | 516 |
| 2009 | 293 | 302 | 311 | 16706 | 329 | 339 | 348 | 358 | 367 | 377 | 386 | 396 |
| 2010 | 190 | 198 | 207 | 16706 | 224 | 232 | 241 | 250 | 258 | 267 | 276 | 285 |
| 2011 | 95 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 |
| 2012 | 7 | 14 | 21 | 28 | 36 | 43 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 | 87 |

Note:

Basis Used

| From | To | Interest* | From | To | Interest* | |
|--------|----------|-----------|---------|----------|-----------|--|
| 1.1.82 | 31.12.82 | 0.1 | 1.1.03 | 31.12.03 | 0.09 | Savings Fund : 68.75% from 1.1.82 to 31.12.87 70% from 1.1.88 and onwards |
| 1.1.83 | 31.12.86 | 0.11 | 1.1.04 | 30.11.11 | 0.08 | |
| 1.1.87 | 31.12.00 | 0.12 | 1.12.11 | 31.12.12 | 0.086 | Insurance Fund : 31.25% from 1.1.82 to 31.12.87 30% from 1.1.88 and onwards |
| 1.1.01 | 31.12.01 | 0.11 | | | | |
| 1.1.02 | 31.12.02 | 0.095 | | | | |

* Interest p.a compounded quarterly

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME 1980

Contribution @ Rs. 10/- P.M upto 31.12.89 and Rs. 15 throughout after 1.1.90

Accumulated value of contribution from 1st January of year of Entry to the month and year of cessation

Year of cessation of membership - 2012

Month of cessation of membership

| Year of Entry | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1982 | 19481 | 19611 | 19782 | 19931 | 20084 | 20237 | 20394 | 20547 | 20706 | 20863 | 21023 | 21172 |
| 1983 | 17707 | 17825 | 17981 | 18121 | 18261 | 18400 | 18543 | 18686 | 18830 | 18973 | 19118 | 19255 |
| 1984 | 16110 | 16215 | 16362 | 16489 | 16617 | 16746 | 16876 | 17005 | 17136 | 17270 | 17403 | 17530 |
| 1985 | 14676 | 14771 | 14907 | 15024 | 15141 | 15259 | 15379 | 15498 | 15620 | 15741 | 15865 | 15978 |
| 1986 | 13389 | 13475 | 13604 | 13711 | 13818 | 13926 | 14038 | 14146 | 14257 | 14371 | 14483 | 14591 |
| 1987 | 12235 | 12314 | 12431 | 12531 | 12631 | 12733 | 12833 | 12933 | 13037 | 13141 | 13244 | 13344 |
| 1988 | 11207 | 11276 | 11388 | 11479 | 11571 | 11664 | 11758 | 11854 | 11948 | 12042 | 12140 | 12229 |
| 1989 | 10274 | 10339 | 10444 | 10528 | 10613 | 10699 | 10785 | 10871 | 10961 | 11049 | 11139 | 11222 |
| 1990 | 9445 | 9505 | 9603 | 9682 | 9763 | 9841 | 9921 | 10004 | 10086 | 10168 | 10250 | 10329 |
| 1991 | 8343 | 8392 | 8483 | 8555 | 8625 | 8697 | 8770 | 8844 | 8917 | 8991 | 9067 | 9135 |
| 1992 | 7362 | 7406 | 7489 | 7552 | 7617 | 7683 | 7748 | 7812 | 7879 | 7945 | 8014 | 8078 |
| 1993 | 6491 | 6528 | 6606 | 6663 | 6722 | 6780 | 6839 | 6898 | 6958 | 7017 | 7079 | 7135 |
| 1994 | 5718 | 5750 | 5822 | 5875 | 5925 | 5978 | 6031 | 6086 | 6138 | 6193 | 6248 | 6299 |
| 1995 | 5030 | 5056 | 5124 | 5171 | 5218 | 5264 | 5315 | 5362 | 5411 | 5460 | 5508 | 5557 |
| 1996 | 4420 | 4440 | 4505 | 4547 | 4590 | 4633 | 4678 | 4721 | 4764 | 4809 | 4853 | 4898 |
| 1997 | 3876 | 3892 | 3954 | 3993 | 4030 | 4071 | 4110 | 4149 | 4190 | 4231 | 4272 | 4309 |
| 1998 | 3394 | 3410 | 3464 | 3499 | 3534 | 3569 | 3609 | 3644 | 3681 | 3716 | 3753 | 3790 |
| 1999 | 2968 | 2978 | 3030 | 3061 | 3094 | 3125 | 3160 | 3193 | 3227 | 3260 | 3293 | 3324 |
| 2000 | 2585 | 2592 | 2644 | 2674 | 2703 | 2732 | 2763 | 2793 | 2824 | 2853 | 2884 | 2914 |
| 2001 | 2249 | 2253 | 2300 | 2328 | 2355 | 2383 | 2410 | 2437 | 2466 | 2493 | 2523 | 2549 |
| 2002 | 1948 | 1950 | 1995 | 2017 | 2042 | 2068 | 2093 | 2118 | 2148 | 2173 | 2198 | 2224 |
| 2003 | 1673 | 1674 | 1718 | 1740 | 1763 | 1786 | 1809 | 1833 | 1856 | 1881 | 1904 | 1926 |
| 2004 | 1424 | 1423 | 1465 | 1486 | 1507 | 1528 | 1550 | 1571 | 1593 | 1615 | 1637 | 1658 |
| 2005 | 1194 | 1192 | 1232 | 1252 | 1271 | 1291 | 1310 | 1330 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 |
| 2006 | 982 | 979 | 1018 | 1035 | 1053 | 1071 | 1089 | 1108 | 1126 | 1144 | 1163 | 1181 |
| 2007 | 787 | 782 | 819 | 835 | 852 | 868 | 885 | 902 | 919 | 936 | 953 | 970 |
| 2008 | 606 | 600 | 636 | 651 | 666 | 681 | 696 | 712 | 728 | 743 | 759 | 775 |
| 2009 | 439 | 431 | 466 | 480 | 494 | 508 | 522 | 536 | 551 | 565 | 580 | 594 |
| 2010 | 285 | 276 | 310 | 323 | 335 | 348 | 361 | 374 | 387 | 401 | 414 | 427 |
| 2011 | 142 | 154 | 165 | 177 | 189 | 201 | 212 | 225 | 237 | 249 | 261 | 273 |
| 2012 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 120 | 131 |

Note:

Basis Used

| From | To | Interest* | From | To | Interest* | | |
|--------|----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1.1.82 | 31.12.82 | 0.1 | 1.1.03 | 31.12.03 | 0.09 | Savings Fund : | |
| 1.1.83 | 31.12.86 | 0.11 | 1.1.04 | 30.11.11 | 0.08 | | 68.75% from 1.1.82 to 31.12.87 |
| 1.1.87 | 31.12.00 | 0.12 | 1.12.11 | 31.12.12 | 0.086 | | 70% from 1.1.88 and onwards |
| 1.1.01 | 31.12.01 | 0.11 | | | | Insurance Fund : | |
| 1.1.02 | 31.12.02 | 0.095 | | | | | 31.25% from 1.1.82 to 31.12.87 |
| | | | | | | 30% from 1.1.88 and onwards | |

* Interest p.a compounded quarterly